



प्रेषक

नाम → मीनू

कक्षा → VIII<sup>th</sup>

विद्यालय → के.जी. वी.वी. नगर

हसनपुर

जनपद - अमरौटा (उत्तर-प्रदेश)

सेवा में → माननीय मुख्यमंत्री

अंतर → प्रदेश सरकार

विषय → बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता क्यों है, और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए।

महोदय → सादर निवेदन इस प्रकार है कि मैं के.जी. वी.वी. नगर हसनपुर जनपद अमरौटा, उत्तर-प्रदेश में कक्षा → VIII की छात्रा हूँ मेरा नाम मीनू है।

आज के समय में भी हमारे देश और हमारे समाज में बाल विवाह की बढ़ती समस्या को ध्यानरत रखते हुए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस क्रमचय को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनवाये जाये एवं विवाह के लिए लड़की के लिए कम से कम उम्र वर्ष एवं बड़के के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए <sup>18</sup> ऐसा न होने पर विवाह में शामिल होने वाले के परिवार, रिश्तेदार एवं धर्मगुरु को विवाह सम्पन्न करा रहे हैं एवं खाना बनाने वाले एवं टैन्ट वाले सभी व्यक्तियों को विवाह में शामिल है दण्ड में शामिल होगे। इस प्रकार ऐसा करने से समाज में इस क्रमचय के प्रति अभय पैदा होगा जिससे इस क्रमचय का अन्त होगा। किसी की भी किसी भी बच्चे को बाल विवाह होने का पता चला है तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। <sup>आवनी</sup> → मीनू राणा को ही तो उनके माता-पिता को समझाये।

दिनांक → 10/5/2018